(b) whether Government have taken any decision on this demand; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) the matter is under active consideration in consultation with the Government of Kerala.

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रिक्त पद**

4179. श्री रामजीलाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित, श्रेणी-वार, कितने-कितने रिक्त पद भरे गये हैं और आज की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने पद अभी भी रिक्त पड़े हैं; और

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान इन पदों को भरने के लिये कोई प्रयास किये गये; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**Construction of High rise Buildings without fire fighting facilities**

4180. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the construction of high rise sky scrapers are going on in all the metropolitan cities and its suburbs without adequate fire fighting facilities; and

(b) if so, whether there is any mechanism available with Central, State or local self Government about inspecting and control such things?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) It is primarily for the State Government to ensure effective fire prevention measures including the strengthening of fire services in their jurisdiction. The Bureau of Indian Standards, in consultation with the Minsitry of Home Affairs, has formulated a National Building Code in which various fire protection measures for high rise buildings have been mentioned in details. The State Governments have been advised to include these provisions in their local building bye-laws.

**भारत में अनुमत अवधि से अधिक समय तक अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक**

4181. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने पाकिस्तानी नागरिक वीजा लेकर भारत आए और उसकी अवधि समाप्त होने पर पाकिस्तान वापस नहीं गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिना वीजा भारत में घुसपैठ करते हुए कितने पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए; और

(ग) अवैध रूप से भारत में रह रहे पाकिस्तानियों का पता लगाकर उनको पाकिस्तान वापस भेजने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 3,84,391 पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत आए थे:—

| वर्ष | संख्या |
|---|---|
| 1992 | 190495 |
| 1993 | 53631 |
| 1994 | 47177 |
| 1995 | 35167 |
| 1996 | 57921 |

11005 पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत में अनुमत अवधि से अधिक समय तक रुके हुए हैं।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा 961 पाकिस्तानी राष्ट्रिक रोके/गिरफ्तार किए गए।

(ग) भारत में विदेशियों का प्रवेश, ठहरना, नियंत्रण